

स्थानीय सरकार में महिलाओं की भागीदारी द्वारा महिला सशक्तिकरण

Bharat Maurya

Assistant Professor in Political Science

Choudhary Bansi Lal Unoversity, Bhiwani (HR)

Email: bharatmaurya010178@gmail.com

शोध सार

भारत में वैदिक समय से ही सभा और समितियों का उल्लेख पाया जाता है जो ग्रामीण स्तर पर निर्णय करती थी। गाँधी जी का भी सपना था कि भारत में पंचायत स्तर पर निर्णय लिए जाए और लोकतंत्र लागू किया जाए। स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुच्छेद 40 में कुछ प्रावधान किए गए। बाद में 73, 74 वें संविधान संशोधन से स्थानीय सरकार को सैवधानिक दर्जा दिया गया। जिसमें महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया जो 33 प्रतिशत था। कुछ राज्यों में अब इसे 50 प्रतिशत कर दिया गया है। हरियाणा में तो पंचायतों के चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है।

किन्तु प्रश्न यह है कि महिलाओं की भागीदारी से क्या महिलाएं सशक्त हुई हैं। उन्हें अपनी शक्ति और कार्य का ज्ञान है। यह एक बड़ा प्रश्न है कि वे अपने अधिकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त कर पाती हैं। इस पेपर में साक्षात्कार पद्धति के द्वारा आकड़े एकत्रित किए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर द्वितीयक आकड़ों का भी उपयोग किया गया है। शोध के पश्चात यह पाया गया कि महिलाएं शैक्षणिक योग्यता से आ रही हैं किन्तु अपने अधिकारों का उपयोग करने में अपने आपको असमर्थ पाती हैं। समाज में उन्हें काम करने की उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी पुरुषों को प्राप्त है।

मुख्य शब्द:-

विकेन्द्रीकरण, स्थानीय शासन, सशक्तिकरण, ग्राम सभा, प्रतिनिधित्व, आत्म सम्मान।

परिचय:-

भारतवर्ष में पंचायतो की व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है लेकिन उनमें महिलाओं की भागीदारी नहीं थी। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद पंचायतो में महिलाओं को चुनाव की बजाय मनोनीत प्रतिनिधित्व दिया गया जिसके कारण देश की लगभग आधी आबादी की इन समस्याओं में सक्रिय भागीदारी नहीं हो पा रही थी। भारत में प्राचीनकाल से ही स्वायत्त शासन की प्रतीक पंचायत अस्तित्व में रही है। यद्यपि समय-2 पर इनकी

शक्तिया तथा प्रभाव कम हुआ है। ब्रिटिश काल में पूरे तौर पर तहस नहस करने का प्रयास किया।

इन सब के बावजूद बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया जिसने 1956 में लोकनान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना की सिफारिश की जिसके अनुसार पंचायतो का पुर्नगठन की त्रिस्तरीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया।

6 वर्ष की नियत अवधि तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत। मेहता समिति के आद पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया जिसमें अशोक मेहता समिति जी० बी० के राव समिति एल० एम० सिधवी समिति प्रमुख थी।

73-74 वां संवैधानिक संशोधन-

संविधान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संविधान में एक नया अध्याय 9 जोड़ा गया। 25 अप्रैल 1993 से 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम-1993 लागू किया गया। संविधान में जो खण्ड 9 जोड़ा गया इसे अनुच्छेद 243 से 243 ग के प्रावधान शामिल किया गये। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी इस सूची में पंचायतों की 29वीं कार्यकारी विषय-वस्तु है। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान के 40 वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया। जिसमें यह कहा गया कि यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है।

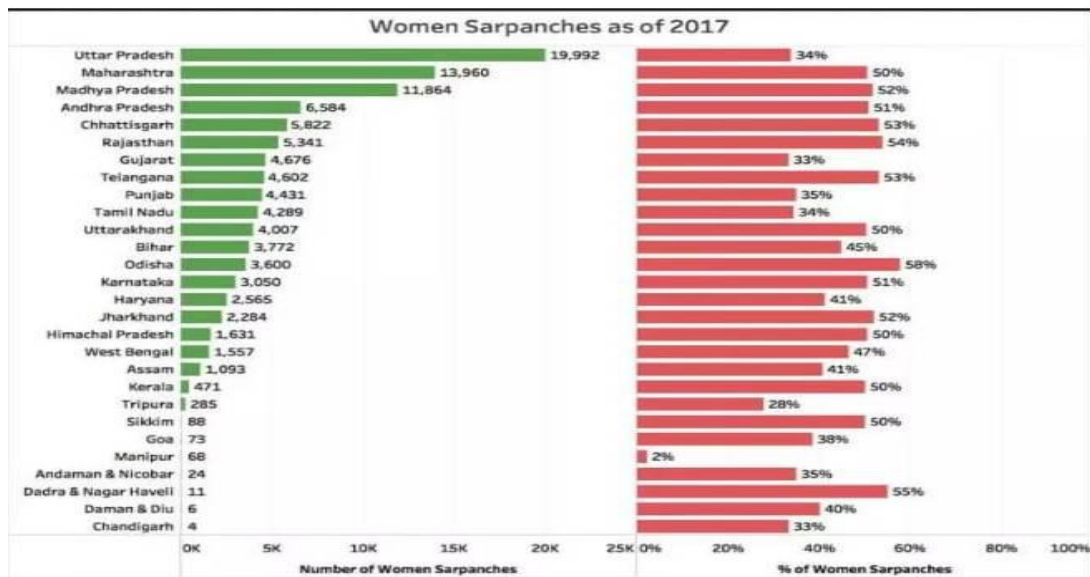
भारत में 2.51 लाख पंचायतें हैं। जिसमें 2.39 लाख ग्राम पंचायतें, 6405 ब्लॉक पंचायतें और 589 जिला पंचायतें या जिला परिषद शामिल हैं।

अनेक राज्यों के विभिन्न कारणों से स्थानीय निकाय कमजोर और बेअसर हो गए हैं। इसमें नियमित चुनाव न होना, लंबे समय तक भंग रहता और कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित हस्तांतरण न होना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी सरकार की जीवत लाकतांत्रिक ईकाई के रूप में कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं।

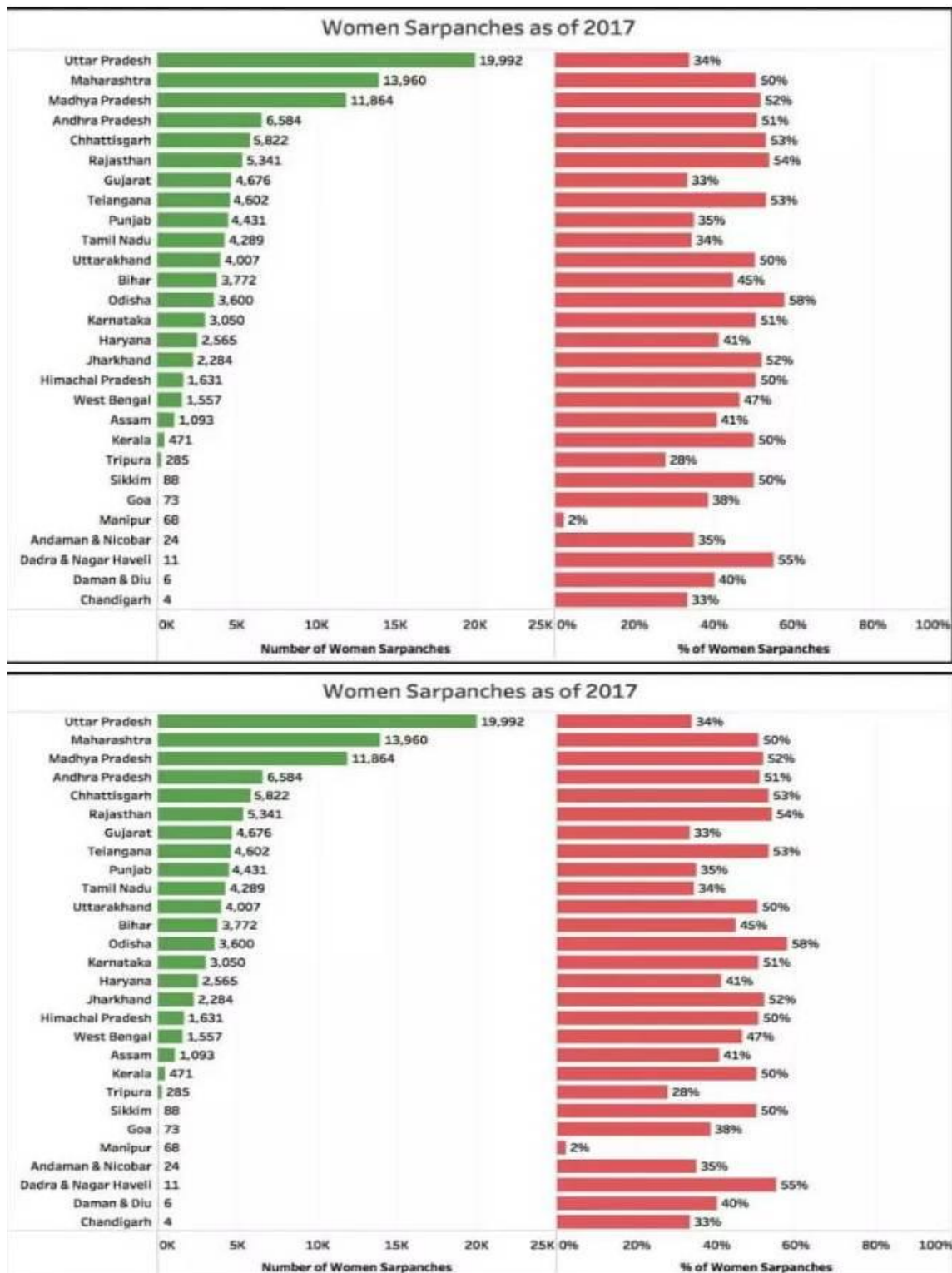
इन कमियों को देखकर संविधान में एक नया भाग 9 (ए) जोड़ा गया ताकि अन्य चीजों के अलावा: तीन तरह की पालिकाओं का गठन हो जैसे:- ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतों छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए पगर परिषदें और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—

ऐतिहासिक दृष्टि से केरल में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ प्राचीन काल में ही अस्तित्व में रही हैं। बृहणों के 'ग्रामम' नायकों के 'थारा' पंचायती समूह इसी संदर्भ में निर्मित होते थे। निचले स्तर पर काजगोम्स तथा कूट्टम न्याय पंचायत एवं ग्राम सभा की भूमिका निभाते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान लार्ड रिपन के प्रयासों से नागरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ गठित हुईं। सन् 1920 में पंचायतो की वैधानिक आधार प्रदान किया



गया।



Case Study:-

हमने भिवानी जिले के एक गांव ढाब-ढाणी के सरपंच 'पूनम जी' का पदजमतअपमू किया जिसमे हमने पाया कि उन्हे कार्य व शक्ति का ज्ञान नहीं है और न ही अपने उत्तरदायित्वो को जानती है उनके उपर समाज या परिवार का कोई बन्धन नहीं है वह स्वयं ही बाहर जाकर कार्य नहीं करना चाहती। आज तक गांव कल्याण का कार्य करने के लिए जितने भी पैसे लगाए तो गए है लेकिन सरपंच को यह भी जानकारी नहीं है कि कितने पैसे आए है और कितने लगाए गए है उनका कहना है कि भले ही सरपंच वह है लेकिन उनकी शक्तिया का प्रयोग उनके पति करते है वो घर मे ही रहती है एक गृहिणी की तरह।

सरपंच को न तो अपने गांव मे समाज के बारे मे जानकारी है और न ही उन्हे ये पता है कि गांव के सरकारी स्कूलो मे शिक्षा का स्तर क्या है। यहां तक की उन्होने यह तक कह दिया है कि वो तो राजनीति मे कभी रुचि रखती ही नहीं थी वो तो सिर्फ इसीलिए सरपंच बनी है क्योकि उनके पति ऐसा चाहते थे। उनको पचायत से सबधित सामान्य सी वार्तो की जानकारी भी नहीं है।

शिक्षा:-

हरियाणा सरकार द्वारा पचायत चुनाव लडने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने के फैसले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जसटिस सतीश कुमार मितल व जसटिस महावीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने यह फैसला दिया कि हिसार की एक महिला ने यह याचिका दायर की थी।

केबिनेट बैठक मे पचायती राज सस्थाओ के चुनाव लडने वाले प्रत्याशियो की शैक्षणिक योग्यता तय कर दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा की हरियाणा की पंचायती राज अधिनियम मे संशोधन के बाद अब पंचायती राज सस्थाओ के सभी स्तरों के निर्वाचित प्रतिनिधियो की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मेट्रिक होगी। अनुसूचित जाति एवं महिलाओ के लिए छूट प्रदान की गई और योग्यता आठवी रखी जाने का फैसला किया।

समस्या:-

1. महिलाएं बिना राजनीतिक रुचि के उम्मीदवार बनाई जाती है। पति को राजनीति मे रुचि होती है न की पत्नी को।
2. चुनाव होने के बाद कुछ महिलाएं स्वयं कार्य को पुरुषों के हाथो मे दे देती है और कुछ महिलाओ को समाज की कृप्या और पुरुष प्रधान समाज कार्य करने नहीं देता।

3. समाज में समाज स्वरूप यह मानता है कि महिलाएँ कम योग्य हैं क्योंकि उनके पास बल प्रयोग की शक्ति नहीं होती।

4. यह भी पाया गया है महिलाएँ धीरे-धीरे अपनी शक्ति का उपयोग स्वरूप करना प्रारंभ कर रही हैं।

सुझाव:-

1. ग्राम स्तर पर भी एक पंचायत भवन होना चाहिए जो संसद की तर्ज पर बनाया जाना चाहिए अर्थात् संसद भवन की तरह ग्राम सभा में भी योजना बनाने के लिए, खर्च करने के लिए बैठक होनी चाहिए।

2. ग्राम स्तर पर जो महिलाएँ चुनकर आती हैं उनके प्रशिक्षण की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। अनिवार्य का अर्थ है उन्हें ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए न कि उनके पति को।

3. पंचायत के खर्च का CAG की तरह Audit होना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार रोका जा सके।

4. महिला संपर्कों को उनके अधिकारों के लिए साल भर में कम से कम दो बार कार्यक्रम करके उन्हें जागरूक करना चाहिए जिसमें वे पूर्ण रूप से अपने कार्यों से अवगत हो सकें।

5. वर्ष के अंत में पंचायत के सम्पूर्ण खर्च को पंचायत भवन में विवरण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

6. पंचायतों को Social Audit करने की व्यवस्था संविधान में शामिल करनी चाहिए।

निष्कर्ष:-

महिलाओं को आरक्षण देना एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें महिलाएँ राजनीति में अधिक संख्या में आई हैं इसी तरह महिलाएँ राजनीति में स्वरूप प्रवेश कर सकती हैं राजनीति में जो महिलाएँ आई हैं उनमें से बहुत सी तो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है किंतु पंचायत स्तर पर महिलाओं ने अभी वह स्तर नहीं प्राप्त किया है। उसके लिए महिलाओं को स्वरूप राजनीति में आना होगा। वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके बदलने में अभी समय लगेगा।

संदर्भ सूची:-

- Ghosh, PeU, Indian Govt and Politics, FIFTH Edition 2016.

- ▶ Mathur Kuldeep, Panchayati Raj, Fourth Edition 2017
- ▶ सिंह कटार, ग्रामीण विकास सिद्धान्त, नीतियां एव प्रबन्ध, तृतीय संस्करण
- ▶ कोठारी रजनी, भारत मे राजनीति, कल और आज, हिन्दी प्रस्तुती और सपांदक, अभय कुमार दुबे।
- ▶ Kurukshetra, Kurukshetra
- ▶ डा० संदीप चतुर्वेदी – पेज नं० 71–74
- ▶ कोठारी रजनी 'कास्ट इन इंडियन पालिटिक्स'
- ▶ तयल वी० बी 'भारतीय शासन और राजनीति'
- ▶ नगपाल ओम 'राजनीति विज्ञान के मूल तत्व'
- ▶ भारत – 2019, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।